न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 41/2021

अनवान

1. रामेश्वर पुत्र श्री दोला रेगर जाति रेगर निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
2. नानूराम पुत्र श्री दोला रेगर जाति रेगर निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
3. बालू पुत्र श्री दोला रेगर जाति रेगर निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
4. सोहन पुत्र श्री दोला रेगर जाति रेगर निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र श्री भागू बलाई निवासी—बलाई मौहल्ला, हमीरगढ तह. हमीरगढ।
2. बाबू पुत्र श्री फाजल जी मुसलमान निवासी—नई आबादी, हमीरगढ तह. हमीरगढ।
3. रामेश्वर पुत्र श्री बंशी लाल कुम्हार निवासी—घाटी मौहल्ला हमीरगढ तह. हमीरगढ।
4. किशन पुत्र श्री बंशी कुम्हार निवासी—घाटी मौहल्ला हमीरगढ तह. हमीरगढ।
5. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री लक्ष्मण गाडरी निवासी—माताजी रोड, हमीरगढ तह. हमीरगढ।
6. होकम रेगर पुत्र श्री रोडा रेगर निवासी—घाटी मौहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ।
7. गंगाराम पुत्र श्री रोडा रेगर निवासी घाटी मौहल्ला, हमीरगढ तह हमीरगढ।
8. रूपा पुत्र श्री लालू बलाई निवासी बलाई मौहल्ला, हमीरगढ तह हमीरगढ।
9. हजारी पुत्र श्री लालू बलाई निवासी बलाई मौहल्ला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 21—09—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.07.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ—I भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 629 की आराजी संख्या 2231 रकबा 0.1644 है0, आराजी नम्बर 4000/3721 रकबा 0.6323 है0, कुल किता 02 रकबा 0.7967 है0, व खाता संख्या 1371 में आराजी संख्या 3710/1 रकबा 0.2276 है0, आराजी नम्बर 382 रकबा 0.1960 है0, कुल किता 02 रकबा 0.4236 है0, खाता संख्या 1389 में आराजी संख्या 4214/3652 रकबा 0.0126 है0, आराजी संख्या 4215/3653 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 02 रकबा 0.2149 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 09 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश [illegible] जा[illegible] कि ग्राम **हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ—I भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ [illegible] उसके खाते की खाता संख्या 629 की आराजी संख्या 2231 रकबा 0.1644 है0, [illegible] 3710/1 रकबा 0.6323 है0, कुल किता 02 रकबा 0.7967 है0, व खाता संख्या 1371 में आराजी [illegible] 3710/1 रकबा 0.2276 है0, आराजी नम्बर 382 रकबा 0.1960 है0, कुल किता 02 रकबा 0.4236 [illegible] खाता संख्या 1389 में आराजी संख्या 4214/3652 रकबा 0.0126 है0, आराजी संख्या 4215/3653 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 02 रकबा 0.2149 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 21/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested